IMPACT FACTOR: 3.012 (IIJIF) ISSN: 2454-5503

CHRONICLE OF HUMANITIES AND CULTURAL STUDIES

VOL. - 2 SPECIAL ISSUE - 1 NOVEMBER 2016

A Bimonthly Refereed International Journal

Special Issue On

UNDERSTANDING THE CONSTITUTION OF INDIA

Chief Editors

PRIN. DR R.T.BEDRE

PRIN. DR T. L. HOLAMBE

Associate Editors

U. Y. MANE A. B. WALKE J. P. KOKANE

Late Ramesh Warpudkar (ACS) College, Sonpeth • Dist. Parbhani

CONTENTS

1. A Glance at Secularism in Indian Constitution / Dr. Sunil Shinde & Shekhar Ashtikar | 06
2. A Perspective on Fundamental Rights and Directive Principles in the Indian Constitution / Shekhar Ashtikar | 11
3. Human Rights Violation in the Light of Child Labor Practices in India / Sanket Shinde | 15
4. Women Rights in India: Constitutional Rights and Legal Rights / Kokane J. P. & Shinde S.Y. | 19
5. Children Rights: Constitutional Provisions / Shinde Sheela & Prakash Deshmukh | 24
6. Environmental Concern in Indian Constitution / J. P. Kokane & P. D. Mamadge | 30
7. The Provision of Water Management in the Constitution of India / Kishor N. Ingole | 33
8. Provisions in Indian Constitution for Paradhi Community in Scheduled Tribes … / Pramod Gadekar | 38
9. Dr. B. R. Ambedkar's Contribution in the Empowerment of Women / Dr. Vandana S. Phatale | 43
10. भारतीय संविधान / प्रा. डॉ. कुलकर्णी व्ही. बी. | 45
11. भारतीय राज्यघटनेतील घटनादुरुस्ती … / डॉ. कुचेकर एच्. एस. | 49
12. भारतीय संविधानाच्या उद्देशपत्रिकेचे तत्वज्ञान … / प्रा. के. एम. गोलेकर | 58
13. भारतीय राज्यघटनेतील मूलभूत तत्त्वे / राजेंद्र सूर्यवंशी | 67
14. भारतीय राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्वे / प्रा.डॉ.हरिभाऊ कदम | 73
15. भारतीय राज्यघटना निर्मिती - एक दृष्टिक्षेप / डॉ. मुक्ता सोमवंशी | 76
16. भारताच्या संविधानातील दलितांविषयी तरतुदी … /डॉ. ज्योती व्हटकर | 81
17. भारतीय संविधानात अनुसूचित जाती … / प्रा.बी.ए.साबळे | 87
18. भारतीय राज्यघटना दुरुस्ती व प्रक्रिया / प्रा. डॉ. आंधळे बी.व्ही. | 91
19. पहिली घटना दुरुस्ती … / चालीकवार राजेश | 94
20. भारतीय राज्यघटनेतील भाषाविषयक तरतूदी / सचिन गिरी | 98
21. भारतीय संविधानातील महिला विषयक … / डॉ.दत्ता मा. तंगलवाड | 106
22. भारतीय राज्यघटनेतील मूलभूत अधिकार … / सचिन पोरे | 110
23. भारतीय राज्य घटनेवर प्रभाव टाकणारी व्यक्ती … / सचिन डेंगळे | 115
24. भारतीय राज्य घटना व महिला शिक्षण … / प्रा. वाळके अरुणा | 119

Late Ramesh Warpudkar (ACS) College, Sonpeth Dist. Parbhani

10.
भारतीय संविधान

प्रा. डॉ. कुलकर्णी व्ही. बी.
हिन्दी विभागाध्यक्षा
कै. रमेश वरपुडकर महाविद्यालय,सोनपेठ, जि.परभणी

विश्व में भारत सबसे बडा लोकतांत्रिक देश है और अंतराष्ट्रीय स्तर पर इसकी राजनैतिक महत्ता को नकारा नहीं जा सकता । अतएव, समस्त भारतीय नागरिकों के लिए संविधान का ज्ञान होता अपरिहार्य है, साथ ही भारतीय पंजतंत्र के लिए समकालीन चुनौतियों की जानकारी भी अपेक्षित है ।

संविधान की स्वीकृति :-

29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने डॉ. बी.आर.आंबेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारुप समिति नियूक्त की । प्रारुप समिति में सात सदस्य थे । इस सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं । एन गोपालस्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी.मित्तर (बाद में उनके स्थान पर एन.माधव राव को नियुक्त किया गया), डॉ.डी.पी.खेतान (जिनकी मृत्यू होने पर उनके स्थान पर टी.टी.कृष्णमाचारी को नियुक्त किया गया)। इस समितीने फरवरी 1948 में भारतीय संविधान का प्रारुप प्रस्तुत किया । 26 नवंम्बर 1949 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ.राजेंन्द्र प्रसाद के हस्ताक्षर के बाद उसी तारीख को संविधान स्वीकृत हो गया और असके पारित होने की घोषणा की गई। "भारत का संविधान 26 जानवरी 1950 से प्रवृत्त हुआ । बीस वर्ष पहले इसी तारीख को भारत का लक्ष पूर्ण स्वराज्य घोषित किया गया था । संविधान सभा ने संविधान निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 महिने और 18 दिन लिए थे ।" 1

"प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र शासन व्यवस्था को सुचारु रुप से चलाने के लिए कुछ नियमों का निर्माण करना है जिसके द्वारा राष्ट्र को व्यवस्थित रुप से संचालित करने में पूर्ण सहयोग मिलता है । इन्ही नियमों के सकुशल अनुपालन के लिए संविधान का निर्माण किया जाता है जिसके उन्तर्गत शासक और शासन बांधा होता है और देश की सम्पूर्ण जनता संवैधानिक नियमों का अनुपालन करती है" 2. इस प्रकार संविधान एक ऐसी व्यवस्था है जो जनता और राष्ट्र की सेवा के लिए शासन और शासक दोनों को नियमबध्द रखता है ।

संविधान मानवीय संम्बन्धों का एक संकलन है । मानवीय सम्बन्ध विशेष रुप से तीन तरह के होते है

1) मनुष्य का मनुष्य से सम्बन्ध
2) मनुष्य का राज्य से सम्बन्ध
3) राज्य के अंगों का पारस्परिक सम्बन्ध

संविधान इन तीनों सम्बन्ध सूत्रों को नियंत्रित करनेवाले नियमों की तालिका है । संविधान राष्ट्र का सर्वप्रथम नियम माना जाता है संविधान ही शासन व्यवस्था संचालन की आधारशिला होता है ।

संविधान का लक्ष तथा उद्देश्य :-

संविधान का प्रमुख उद्देश्य राज्य की अभिव्यक्ति करना तथा उनकी रक्षा करना है । भारत के संविधान का मूल लक्ष्य धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना के साथ-साथ समाजवादी भारत की स्थापन करना है।

संविधान के प्रमुख तत्व :-

1) लिखित संविधान
2) सबसे लम्बा संविधान
3) अनम्य की अपेक्षा नमनीय अधिक
4) नागरिकों के मुल अधिकारों का समावेश

अ) समता का अधिकार ब) स्वतंत्रता का अधिकार क) शोषण के विरुध्द अधिकार ड) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार इ) सांस्कृतिक तथा शिक्षा सम्बन्धी अधिकार ई) संवैधानिक उपचारों का अधिकार

5) मूल कर्तव्य :-

6) स्वतंत्र न्यायपालिका तथा न्यायिक पुनर्विलोकन और संसदीय सर्वोच्चता के बीच संतुलन.

भारत के नागरिकों के मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य :-

भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों को शामिल करने का सबसे प्रमूख प्रयोजन नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, न्याय तथा सुरक्षा प्रदान करना था । भारतीय संविधान में नागरिकों को छः प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए है -

1) समानता का अधिकार
2) स्वतंत्रता का अधिकार
3) शोषण के विरुध्द अधिकार
4) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार

Late Ramesh Warpudkar (ACS) College Sonpeth, Dist. Parbhani

5) सांस्कृतिक व शिक्षा- सम्बन्धी अधिकार
6) संवैधानिक उपचारों का अधिकार

समाज कल्याण :-

"भारत एक कल्याणकारी राज्य है । संविधान की प्रस्तावना राज्यनीति के निदेशक तत्वों तथा मूल अधिकारों में भारत को कल्याणकारी राज्य बनाने की घोषणा की गई है" । 3.कल्याण योजनाओं को लागू करने की जिम्मेदारी केंन्द्र और राज्य सरकारों के बीच बटी हूई है । केंन्द्र सरकार का कल्याण विभाग समाज कल्याण की विभिन्न योजनाओं को लागू करता है और रज्य सरकारों की योजनाओं के बीच तालमेल बैठाता है ।

भारत में समाज कल्याण की योजनाए निम्नलिखित भागों में बंटी हुई है । अनुसूचित जातिया तथा अनुसूचित जनजातियां, पिछडे वर्ग, अल्पसंख्यंक वर्ग, स्त्रिया बालक वृध्द अपंग ।5.अब्राहम लिंकन के अनुसार प्रजातन्त्र जनता के लिए जनता के द्वारा जनता का शासन होता है ।

भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य :-

संविधान के भाग 4 में भाग 4 (क) नाम से एक अध्याय जोडा गया हैं जिसमें नागरिकों के मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है । धारा 51 (क) के अनुसार प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह-

1) संविधान का पालन करे और आदर्शो, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्र गान का आदर करे ।
2) स्वतन्त्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आरर्शो को हृद्य में संजोए रखे
3) भारत की प्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करे ।
4) देश की रक्षा करे और आहवाहन लिए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे।
5) भारत के सभी लोगों में भातृत्व की भावना का निर्माण करे ।
6) हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्व समझे ।
7) प्राकृतिक पर्यावरण की वन, झील, नदी और वन्यजीव की रक्षा करे दयाभव रखे ।
8) वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावनाओं का विकास करे ।
9) सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहे ।
10) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढने का सतत प्रयास करें ।

इस प्रकार से स्वतंत्रता अंदालन से सभी नेताओं ने स्वतंत्र भारत कें सपने संजोये थे । कि प्रत्येक मानव का विकास होना आवश्यक है । और हमारे राष्ट्र को उन्नत नागरिकों की, आवश्यकता है ; जब तक गरीबी, बेरोजगारी, असमानता, अज्ञानता जैसी स्थितियाँ समाप्त नहीं होती है और सम्पूर्ण समाज का चहुमुखी विकास नहीं होता है तो हमारा समाज समाजवादी समाज से अधूरा रहेगा भारतीय इतिहास से शिक्षा लेते हुए भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत को एक रखने के लिए संघ को शक्तिशाली बनाना आवश्यक समझा ।

संदर्भ -

1) भारतीय शासन एवं राजनितीक शैलेन्द्र सेंगर -पृ.क्र.121
2) संविधान और सरकार - बी.सी.नरुला -पृ.क्र.01
3) संविधान ओर सरकार - बी.सी.नरुला -पृ.क्र.3 और 4
4) नेहरु और विज्ञान - शुकदेव प्रसाद - पराग प्रकाशन, दिल्ली 1989 पृ.क्र.49-50
5) आजादी के पचास साल - विश्वप्रकाश गुप्त, मोहिनी गुप्त पृ.क्र.143-144
6) संसदीय प्रणाली में विधान मंडल - श्रीमती वंन्दना सक्सेना - पृ.क्र.88

❑❑❑

Late Ramesh Warpudkar (ACS) College, Sonpeth Dist. Parbhani

PRINCIPAL
Late Ramesh Warpudkar (ACS)
College, Sonpeth Dist. Parbhani